

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची – 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की
अंतिम तिथि-21.07.2025

विज्ञापन संख्या-06/2025

झारखण्ड अभियोजन सेवान्तर्गत सहायक लोक अभियोजक के पद पर सीधी भर्ती
नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-6629 दिनांक-02.12.2024 द्वारा झारखण्ड अभियोजन सेवान्तर्गत सहायक लोक अभियोजक के पद पर **सीधी भर्ती** के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों एवं विभागीय पत्रांक-1250, दिनांक-25.02.2025 से प्राप्त मंत्र्य के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में One Time Registration (OTR) के माध्यम से Online आवेदन (आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. (क) (i) **पद का नाम – सहायक लोक अभियोजक**

(ii) **विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-**

S.No.	Category	Vertical Reservation	Horizontal Reservation against total vacancy						
		No. of vacancies	Women	Primitive Tribe	Sports	Handicapped			
						Blind	Deaf & Dumb	Locomotive	Multiple Disabilities
1	2	3	4	5	6	7			
i	Unreserved	52	02		2% Post of Total Vacancy is reserved for Sports Quota	4% Post of Total Vacancy is reserved for Blind, Deaf & Dumb and Locomotive Disability or Cerebral Palsy and Autism or Multiple Disabilities			
ii	EWS	15	01						
iii	SC	13	01						
iv	ST	35	02	2% Post of Total ST Vacancy is reserved for Primitive Tribe					
v	BC-I	11	01						
vi	BC-II	08	00						
Total of (i) to (vi)		134	07	01	03	05			

नोट :- क) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात् बैकलॉग नहीं होगा।

2. **वेतनमान** — Pay Matrix Level 8 (47600 - 151100) as per 7th Pay Vide Planning cum Finance Department Resolution no. 217/F dtd. 18-01-2017 PB-II 9300 – 34800/- Grade Pay – 4800/- (As per 6th Pay)

3. **पद** — स्थायी

4. **परीक्ष्यमान अवधि** — 2 (दो) वर्ष

5. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता** :- नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की वह डिग्री होगी, जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है।

6. **अतिरिक्त योग्यता** — राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र।

7. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि** — 01.08.2024

(क) न्यूनतम उम्र सीमा — 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा — कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-29 दिनांक-04.01.2021 के अनुसार सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा	राज्य सरकार में कार्यरत (स्थायी /अस्थायी)	अन्य
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष	वैसे सरकारी कर्मों जिन्होंने तीन (03) वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी। (झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली (संशोधन) अधिसूचना सं०-2129, दिनांक-19.04.2017 के अनुसार)	भूतपूर्व सैनिकों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट
2.	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग	35 वर्ष	45 वर्ष		
3.	पिछड़ा वर्ग-I/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-II	37 वर्ष	47 वर्ष		
4.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग-I/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-II)	38 वर्ष	48 वर्ष		
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष		

8. नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया :- सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी एवं यह परीक्षा द्वि-स्तरीय होगी—
(a) प्रारंभिक परीक्षा, (b) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार)

(a) प्रारंभिक परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम पत्र 100 अंकों का जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय पत्र 200 अंकों का विधि विषयक होगा। यह परीक्षा **वस्तुनिष्ठ** प्रकृति की होगी, जिसके आधार पर उक्त वर्ष में उपलब्ध/प्रतिवेदित कुल रिक्तियों के तेरह गुणा (1:13) अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किये जायेंगे।

क्र०सं०	पत्र	विषय	कुल अंक	समय	स्तर
01	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100	2 घंटा	सामान्य
02	द्वितीय पत्र	विधि विषयक	200	2 घंटा	विधि स्नातक

प्रारंभिक परीक्षा के लिए सन्दर्भित विषय:

प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटना-क्रम, भारत के इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे। साथ ही झारखण्ड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। द्वितीय पत्र में साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(b) मुख्य परीक्षा

- (i) मुख्य परीक्षा में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित निम्न 09 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की 100 अंकों की परीक्षा होगी—

(क) संताली भाषा और साहित्य (ख) मुण्डारी भाषा और साहित्य (ग) खड़िया भाषा और साहित्य (घ) हो भाषा और साहित्य (ङ) कुडुख भाषा और साहित्य (च) नागपुरी भाषा और साहित्य (छ) कुरमाली भाषा और साहित्य (ज) खोरठा भाषा और साहित्य (झ) पंचपरगनिया भाषा और साहित्य।

इस पत्र का अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा परन्तु इसके लिए निम्न न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा:—

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

- (ii) मुख्य परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, निबन्ध, सामान्य अध्ययन एवं विधि से संबंधित विषय होंगे। इन विषयों का स्वरूप, अंक, स्तर निम्न प्रकार से होगा—

क्र०सं०	पत्र	विषय	कुल अंक	समय	स्तर
1	प्रथम पत्र	सामान्य हिन्दी	100	3 घंटा	प्रवेशिका
2	द्वितीय पत्र	अंग्रेजी	100	3 घंटा	प्रवेशिका
3	तृतीय पत्र	निबन्ध	100	3 घंटा	प्रवेशिका
4	चतुर्थ पत्र	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटा	सामान्य
विधि विषय					
5	पंचम पत्र	साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया	200	3 घंटा	विधि स्नातक
6	षष्ठम पत्र	भारतीय दंड संहिता	200	3 घंटा	विधि स्नातक
7	सप्तम पत्र	भारतीय संवैधानिक विधि	200	3 घंटा	विधि स्नातक
8	अष्टम पत्र	आपराधिक माइनर एक्ट	200	3 घंटा	विधि स्नातक
9	साक्षात्कार		50 अंक		सामान्य

9. न्यूनतम अर्हतांक :-

- (a) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में निबंध, सामान्य अध्ययन एवं विधि विषयों तथा साक्षात्कार के लिए निम्न न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा :-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(b) लिखित परीक्षा से संबंधित विषयक विवरण :-

- सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों को मेधा सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जायेगा। लेकिन जो उम्मीदवार सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे।
- मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिन्दी एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इसमें 20 अंकों का निबंध, 20 अंकों का पत्र लेखन (सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी) 25 अंकों का व्याकरण, 15 अंकों का वाक्य-विन्यास एवं 20 अंकों के संक्षेपण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
- मुख्य परीक्षा के तृतीय पत्र निबन्ध में कुल '2' (दो) खण्ड होंगे, जिसमें एक खण्ड विधि विषय एवं दूसरा खंड सामान्य निबन्ध पर आधारित होगा। प्रत्येक खण्ड के वैकल्पिक विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक निबन्ध 50-50 अंकों का होगा।

4. मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटना क्रम से 10 अंकों का, भारत का आधुनिक इतिहास से 10 अंकों का, भूगोल से 10 अंकों का, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 अंकों का, सामान्य विज्ञान से 10 अंकों का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 अंकों के एवं विधि शब्दावली (व्याख्या सहित) से संबंधित 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखण्ड के आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति से संबंधित 15 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
5. **विधि विषयक:**
- (i) पंचम पत्र में अपराध प्रक्रिया संहिता से 125 अंकों का तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा।
- (ii) षष्ठम पत्र में भारतीय दंड संहिता से 200 अंकों (समस्या सहित) के प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (iii) सप्तम पत्र में भारतीय संवैधानिक विधि से 200 अंकों का प्रश्न पूछा जायगा।
- (iv) अष्टम पत्र (आपराधिक माइनर एक्ट से) में खण्ड 'क' से 80 अंक खण्ड 'ख' से 60 अंक तथा खण्ड 'ग' से 60 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। अपराधिक माइनर एक्ट में निम्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे—

80 Marks Group A	60 Marks Group B	60 Marks Group C
(1) Forest Act 1927	(1) Electricity Act 2003	(1) Essential Commodities Act 1955
(2) Arms Act 1959 Explosive Substance act 1908	(2) Information Technology Act 2000	(2) Dowry Prohibition Act 1961
(3) Criminal Law Amendment Act 1908 and Unlawful Activities (Prevention) Act. 1967	(3) Prevention of corruption Act 1988 and Bihar/Jharkhand Prevention of specified corruption Act 1983	(3) Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act 1989
(4) Motor Vehicle Act 1988	(4) Prevention of Food Adulteration Act 1954	(4) Juvenile Justice Act 2000 (Care and protection of Children) Act 2000
(5) Prevention of witch (Dain) Practices Act- 1999	-	-

6. सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे (सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी को छोड़कर) तथा अभ्यर्थियों को किसी एक भाषा में प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा। प्रथम पत्र सामान्य हिन्दी देवनागरी लिपि में एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी विषय रोमन लिपि में लिखना अनिवार्य होगा। शेष पत्रों के लिए देवनागरी अथवा रोमन लिपि का विकल्प होगा।
7. अभ्यर्थियों को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषयों एवं पत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की संबंधित परीक्षाओं के विरुद्ध मेधा सूची प्रकाशित नहीं की जा सकेगी।
8. लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए कुल रिक्त के विरुद्ध तीन गुणा (1:3) अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
9. इस प्रकार मुख्य परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची के अनुसार कोटिवार प्रतिवेदित रिक्त पदों के विरुद्ध परिणाम घोषित किये जायेंगे। जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान हों तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होंगे।

10. **आरक्षण का लाभ :-**

- (क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ख) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :-**
आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।
- (घ) जाति प्रमाण पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।
- (ङ) विवाहित/अविवाहित महिला आवेदिका के आरक्षण का लाभ हेतु पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण देय होगा।
- (च) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (छ) **जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है :-**
- (i) **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5682, दिनांक-22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I अथवा पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV अथवा पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 द्वारा विहित प्रपत्र-IV (संशोधित) अथवा पत्रांक-2669, दिनांक-10.05.2023 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-V (संशोधित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-** झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में क्रीमीलेयर रहित स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:-

- (i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ii) राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-11 Required अंकित हो तो Form-11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

(iii) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए**— आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यक्षीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ज) **निःशक्तता का लाभ :-**

- (i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।
- (ii) निःशक्तता के लाभ हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-5888, दिनांक-06.08.2018 प्रभावी होगी। निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त झारखण्ड के अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर **Important Jharkhand Government Circular and Notices** में भी उपलब्ध है।

(झ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-332 दिनांक-24.01.2022 के आलोक में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ झारखण्ड राज्य के निवासियों के लिए ही अनुमान्य है। खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

11. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी दोषी पाये गये तो झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. परीक्षा शुल्क:-

- (a) परीक्षा शुल्क Credit Card/Debit Card/Net Banking/Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway द्वारा लिया जाएगा।
- (b) अनारक्षित, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (c) **परीक्षा शुल्क में छूट-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
- (d) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण-पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करना एवं आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (e) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

13. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) (i) ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप कंडिका-13(थ) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (Hard Copy) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति एवं दिशा-निर्देश के आलोक में मुख्य परीक्षा के पूर्व निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (ii) साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि तदनुसार समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित एवं संलग्न प्रमाण पत्र/अभिलेखों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से वैध एवं स्वीकृत अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (ख) (i) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर One Time Registration (OTR) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन के साथ वांछित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं तदनुसार समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की Hard Copy के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

- (घ) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. — +919431301419, +919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह—10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ङ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. +917979970392, +918340331314 पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.— +917979970392, +918340331314 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।
- (ज) One Time Registration (OTR) System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन अद्यतन (पासपोर्ट साइज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।
- (झ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (ट) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (ठ) ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, विधि स्नातक अंक एवं प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, खेलकूद प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अनिवार्य रूप से अवश्य प्रविष्टि करेंगे।
- (ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ढ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (त) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाओं तदनुसार समर्पित ऑनलाइन आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की Hard Copy के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना, तथ्य छिपाने या भिन्नता की स्थिति पाये जाने पर आयोग ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (थ) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञापित एवं दिशा—निर्देश के आलोक में ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति Hard Copy आयोग कार्यालय में मुख्य परीक्षा के पूर्व निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे—
- (i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र।

- (ii) विधि स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है।
- (iii) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-IV अथवा प्रपत्र-IV (संशोधित) अथवा प्रपत्र-V (संशोधित) में तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र-XI में)।
- (iv) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, विहित प्रपत्र में (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु)।
- (v) आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु)।
- (vi) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- (vii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड सरकार के स्थायी सेवकों को उम्र सीमा में छूट हेतु)
- (viii) भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)
- (ix) खेलकूद प्रमाण पत्र (खेलकूद कोटा में दावे के समर्थन में)

14. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक One Time Registration (OTR) System के माध्यम से दिनांक 29.06.2025 से 21.07.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं
- (ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र One Time Registration (OTR) System के माध्यम से दिनांक-21.07.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (ग) दिनांक-21.07.2025 के बाद दिनांक-22.07.2025 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।